भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1265

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

पीएम-दक्ष योजना का प्रभाव

1265. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कौशल विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री-दक्ष योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और उन्हें प्रदान किए जाने वाले कौशल के प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष में उक्त योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में पेश आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) उक्त योजना की प्रभावकारिता को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की क्या भूमिका है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): पीएम-दक्ष योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए विभिन्न निगरानी तंत्र मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक योजना को अगले वित्त आयोग चक्र के लिए पुनर्मूल्यांकन से पहले पीएम-दक्ष योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र अन्य पक्ष के मूल्यांकन से गुजरना होगा।

(ख): वर्ष 2023-24 तक पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 1,87,305 है। इस योजना के अंतर्गत, संबंधित लक्ष्य समूहों के लिए सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पावधि प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन/पुनः कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान स्तर पर 80.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(घ): चूंकि इस योजना का लक्षित समूह समाज के लाभवंचित वर्गों से संबंधित है, इसलिए उनके बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाना बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे के समाधान के लिए समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है तथा इस योजना का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

(ड.): पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत, संबंधित लक्षित समूहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी दोनों प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। एनसीवीईटी अधिदेश के अनुसार, यदि कोई लाभार्थी ऐसी नौकरी की भूमिका में प्रशिक्षण प्राप्त करता है जिसमें "ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)" अनिवार्य प्रावधान है, तो लाभार्थी ओजेटी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग से जुड़ जाता है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

****